न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–04/20
आदेश दिनांक 12.01.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र में चक 19 पीकेडी 'ए' लगभग 18 मुरब्बों में अलग–अलग रास्ता कटान करने बाबत् लिखा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा0पत्र में कहीं यह यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि उनकी कृषि भूमि पत्रावली में वर्णित चक के कौनसे मु0नं0 पर स्थित है और वे अपनी कृषि भूमि हेतु कहा से कहां तक रास्ता चाहते है। इसलिए उक्त प्रकरण धारा 251 ए RTA का नहीं बनता है। क्योंकि धारा 251ए RTA का प्रकरण जब बनता है जब काश्तकार को खुद की कृषि भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता ना हो और रास्ता कटान चाहता है। अतः प्रार्थीगण को अपने कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तो नियमानुसार प्रा0पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह पत्रावली धारा 151 CPC की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–61/20

क्रमांक:एसडीओ/खाजू/रीडर/21/ दिनांक

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी के चक 5 KLD (CAD) के मु0नं0 236/46 के कुला 9 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा 2 KLD से ऋण लिया था। राजस्व रिकॉर्ड में रहन का अंकन करते वक्त गलती से पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला अंकित हो गया। जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाना चाहता है।

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी काशीराम पुत्र मामराज जाति बिश्नोई सा0 रामपुरा के चक 5 KLD (CAD) के मु0नं0 236/46 के कुला 9 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के रहननामा का नामा0 सं0 125 दर्ज करते वक्त सहवन से रहन पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला अंकित हो गया इसी नामा0 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला दर्ज हो गया, जबकि संलग्न 6(1) के अनुसार रकबा पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD के पक्ष में रहन होना था।

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में दस्तावेज स्वरूप बैंकपास, अनुसूची 6, जमाबंदी व नामा0 की छायाप्रति पेश किये। अतः रिकॉर्ड दस्तावेज के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी के पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD शुद्ध किया जाकर पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला की जगह पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को किये जाते है एवं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

क्रमांक:एसडीओ/खाजू/21/ दिनांक

प्रतिलिपीः– तहसीलदार खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–51/20
आदेश दिनांक 01.02.2021

आज पत्रावली उभयपक्ष के उपस्थित आने व प्रार्थीगण पुनीतकुमार, आरती पुत्र सुधीरकुमार नाबालिक जरिये माता कान्तादेवी के विड्रो प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र पेशकर पारिवारिक सहमति एवं राजीनामा हो जाने के कारण बाद में कोई कार्यवाही आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। उक्त वाद इसी स्तर पर विड्रो करने का आदेश का निवेदन किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विड्रो के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—52/20
आदेश दिनांक 01.02.2021

पत्रावली पेश हुई। मूलवाद विड्रो के आधार पर खारिज किया जा चुका है। उक्त पत्रावली मूलवाद का अभिन्न अंग होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2014/00057

1. शंकरलाल पुत्र मनीराम जाति ओड निवासी चक 22 केजेडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उर्मिला पत्नि शिवप्रकाश, जाति नाई निवासी चक 7 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल चक 24 केजेडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला। .... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) Colony Condition Act

व धारा 251, 251क RT Act

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की वादी मनीराम पुत्र रामकरण द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8(2) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था की चक 24 केजेडी के मुरब्बा नंबर 224/49 के किला नंबर 5,6,15,16,25 में कदीमी रास्ता चल रहा है जो चक की आबादी को मुख्य सड़क से जोड़ता है। उक्त किला नंबर राजस्व रिकॉर्ड में उर्मिला पत्नी शिव प्रकाश के नाम दर्ज हैं। वादी का कहना है उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और प्रतिवादी उर्मिला को पाबंद किया जाए कि वह रास्ते में दखलअंदाजी ना करें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है यह प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए और राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 8(2) उस स्थिति में लागू होती है जब किसी काश्तकार को अपने खेत तक पहुंचने के लिए नया रास्ता चाहिए .यहां वादी द्वारा कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि उसका खेत कहां पर स्थित है और उसके खेत को पहुंचने के लिए कहां से कहां तक रास्ता चाहिए। यह भी गौरतलब है की वादी द्वारा कहीं पर यह जिक्र भी नहीं किया गया है की आबादी कौन से मुरब्बे में स्थित है और सड़क कहां स्थित है और आबादी से सड़क तक पहुंचने के लिए किस–किस मुरब्बे से रास्ता गुजर रहा है।

दूसरा यदि कोई रास्ता सुखाधिकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई व्यक्ति उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो अनुतोष के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा. इस मामले में उपनिवेशन अधिनियम की धारा 82 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है..इसलिए यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक .... पर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. कलावती पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी मसानीवाला हाल आबाद चक 13 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीया

बनाम

1. वीरोकौर पत्नि लालसिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 12 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) उपनिवेशन अधिनियम 1955 की शर्तें संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि वादी कलावती पत्नी ओमप्रकाश के नाम चक 13 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 138/33 में 23 बीघा भूमि दर्ज है। उसकी खातेदारी भूमि का किला नंबर 1,10,11,20 व 21 में 4–4 बिस्वा भूमि रास्ते के तौर पर दर्ज है। वादी का कहना है कि यह रास्ता पिछले 40 सालों से बंद है इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है इसलिए इसे रिकॉर्ड में से हटवाया जाए।

वादी और प्रतिवादी की दलीलों पर विचार किया गया। न्यायालय का यह निष्कर्ष है यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि यह प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8(2) के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस धारा के अंतर्गत काश्तकार को अधिकार है कि वह अपने खेत तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग कर सकें लेकिन इस धारा के तहत पूर्व में दर्ज रास्ते को विलोपित किए जाने का प्रावधान नहीं है।

दूसरा बिंदु यह है कि इस आधार पर कि कोई कटानी रास्ता कई सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा है उस कटानी रास्ते को विलोपित तक नहीं किया जा सकता है। इसलिए civil procedure code की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय यह निर्णय देता है कि इस प्रार्थना पत्र को ही स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी वीरो कौर पत्नी लाल सिंह को निर्देशित किया जाता है कि यदि आज की तारीख में यह रास्ता बंद है तो वह उसे खुद के स्तर पर खोलने की कोशिश नहीं करें बल्कि रास्ता खुलवाने के लिए तहसीलदा[illegible] प्रार्थना पत्र पेश करें।

निर्णय आज दिनांक .... को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 44/2020

1 लिछमणराम उर्फ लिछीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी 33 केवाईडी 'बी' खाजूवाला।

बनाम .... प्रार्थी

1 रतिराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी 33 केवाईडी 'बी' खाजूवाला।
.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–
1. प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वंय उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट अधिनियम

आदेश दिनांक :– ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी लिक्ष्मणराम उर्फ लिछीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट के चक 33 केवाईडी'बी' के मु0नं0 181/35 के किला नं0 1 ता 13 कुला तादादी 12.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। शेष भूमि अप्रार्थी की है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों भाई है। अप्रार्थी के खेत तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी इसी चक व मु0न0 के किला नं0 5,6 में 2–2 बिस्वा रास्ता देने के लिए सहमत है। दिनांक 03.02.2021 को दोनो पक्ष उपस्थित हुवे तथा अप्रार्थी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई।

न्यायालय ने पत्रावली का अध्ययन किया है । न्यायालय का निष्कर्ष है कि उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की सहमति होने की वजह से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 33 केवाईडी'बी' के मु0नं0 181/35 के किला नं0 5,6 में 2–2 बिस्वा भूमि पत्थर लाईन पर रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला अमल पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– /

महेन्द्र पुत्र श्री नेमीचन्द जाति रेगर निवासी चक 5 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र प्रभुदयाल
2. महेशप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
3. तिलोकचन्द पुत्र प्रभुदयाल
4. पुरूषोत्तमदास पुत्र प्रभुदयाल
5. मालचन्द पुत्र प्रभुदयाल
6. चुनीलाल पुत्र प्रभुदयाल
7. जगपालसिंह पुत्र प्रभुदयाल
8. बजरंगलाल पुत्र प्रभुदयाल
9. लक्ष्मीदेवी पुत्री प्रभुदयाल
10. जसोदादेवी पुत्री प्रभुदयाल
11. उषा देवी पुत्री प्रभुदयाल

} जाति रेगर निवासीगण शिवबाड़ी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

12. हरिमोहन पुत्र नेमीचन्द
13. शकुन्तला पुत्री नेमीचन्द

} जाति रेगर निवासीगण शिवबाड़ी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

14. ग्रांम पंचायत 8 के.वाई.डी. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
15. ग्रांम पंचायत 17 के.वाई.डी. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
16. राज. राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेंट

वादपत्र अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए.

–: निर्णय :– दिनांक :–

अपील का ब्यौरा इस प्रकार से है कि विवादित आराजी चक 10 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 156/46 के किला नंबर 17 से 25 की 9 बीघा भूमि, मुरब्बा नंबर 137/49 के किला नंबर 16 से 25 की 10 बीघा भूमि और चक 11 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 156/18 के किला नंबर 6 ,7 ,14 से 17 और 25 की 6.18 बीघा भूमि इस प्रकार 3 चक्रों में कुल 25.18 बीघा भूमि अपीलेट महेंद्र के दादा प्रभु दयाल के नाम दर्ज थी। उसकी मृत्यु के पश्चात [illegible] में [illegible] ग्राम पंचायत 8 केवाईडी के इंतकाल संख्या 54 दिनांक 15 जनवरी 2001 [illegible] पंचायत 17 केवाईडी के इंतकाल संख्या 90 दिनांक 22 फरवरी 2001 के जरिए [illegible] के नाम दर्ज हो गई। प्रार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है कि यह [illegible] प्रभु दयाल ने 14 जून 2000 को उसके नाम वसीयत कर दी थी इसलिए इंतकाल संख्या 54 व 90 को निरस्त कर जमीन उसके नाम दर्ज की जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है यह प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किए जाने लायक है क्योंकि इसमें cause of action reveal नहीं हो रहा है न्यायालय के फैसले के पीछे निम्न आधार है–

वादी द्वारा प्रस्तुत की गई वसीयत सन 2000 में लिखी गई है। वादी इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि पिछले 20 सालों में उन्होंने यह वसीयत एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवाई। वादी ने खुद दावे में लिखा है कि पिछले 20 वर्षों से वह इस जमीन को जोत रहा है ऐसे में यह संभव नहीं है कि उसे पता ही ना हो कि उस के पक्ष में ऐसी वसीयत लिखी गई है।

यह वसीयत पंजीकृत नहीं है, सादे कागज पर लिखी गई है इसलिए इसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। इसके अलावा वीरा सिंह पुत्र छैला सिंह, जिसने इस वसीयत पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किया है उसकी गवाही को स्वतंत्र गवाही नहीं माना जा सकता क्योंकि वसीयत में ही लिखा है कि उसने वसीयत कर्ता यानि कि प्रभु दयाल ने वीरा सिंह से ₹300000 उधार लिए हैं जिसको चुकाने की जिम्मेदारी महेंद्र ,यानि कि जिस के पक्ष में वसीयत की गई है, की होगी. इसके मायने हैं कि गवाह वीरा सिंह का इस वसीयत में हित निहित है।

इसलिए न्यायालय द्वारा इस अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 10/2021

1. रामेश्वर 47 वर्ष } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन रोजड़ी
2. चुन्नीलाल 44 वर्ष हाल चक 2 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीगण

बनाम

1. शान्ति पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजाराम
3. रंजना
4. विनोद
5. विजयपाल

} पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन चक 1 आर. जे. एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

6. जेठी देवी पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. लिक्ष्मण
8. कृष्ण

} पिसरान रेवंन्तराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन सुभलाई तहसील लुनकरनसर जिला बीकानेर।

9. केशराराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 78 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
10. ख्यालीराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
11. उप—पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी— चक 2 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 60/2 की 25 बीघा भूमि —प्रार्थीगण रामेश्वर और चुन्नीलाल के पिता चंदूराम के नाम दर्ज है। चंदू राम की 2018 में मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी गण ने दावा पेश किया है कि चंदू राम में पारिवारिक बंटवारे के तहत यह जमीन प्रार्थी गण के नाम कर दी थी लेकिन चंदू राम की अन्य संताने फर्जी वसीयत के आधार पर इस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। वादी गण द्वारा [illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,188 के तहत वाद प्रस्तुत [illegible] है की परिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी गण को उक्त संपत्ति का खातेदार [illegible]षित किया जाए और वादी गण के पक्ष में चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए की प्रतिवादी गण वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी गण द्वारा पेश किया गया दावा maintainable नहीं है क्योंकि किसी खातेदार की मृत्यु के बाद आराजी का सही हकदार कौन है यह फैसला तहसीलदार/ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान

इंतकाल के द्वारा किया जाएगा। तहसीलदार/ग्राम पंचायत के फैसले से पूर्व ही उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यदि प्रार्थीगण उस फैसले से व्यथित होते हैं तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि प्रार्थीगण को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान फर्जी कागजात पेश कर सकता है तो वह सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति दायर करवा सकते हैं। यदि चंदू राम द्वारा प्रार्थी गण के पक्ष में कोई बंटवारा किया गया है तो प्रार्थी गण उसे भी तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

इसलिए यह वाद maintainable नहीं है. इसे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार खाजूवाला/ ग्राम पंचायत 2 पीडब्ल्यूएम को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी के उत्तराधिकार इंतकाल का निर्णय करते समय वादी गण और प्रतिवादी गण गण को आवश्यक रूप से सुने और उसके बाद ही फैसला करें।

प्रार्थी गण द्वारा इस वाद के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है उस प्रार्थना पत्र को भी इन्हीं आधारों पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 11/2021

1 रामेश्वर 47 वर्ष } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन रोजड़ी

2 चुन्नीलाल 44 वर्ष हाल चक 2 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीगण

बनाम

1 शान्ति पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

2 राजाराम

3 रंजना } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन चक 1 आर.जे.

4 विनोद एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

5 विजयपाल

6 जेठी देवी पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

7 लिक्ष्मण } पिसरान रेवंन्तराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन सुभलाई

8 कृष्ण तहसील लुनकरनसर जिला बीकानेर।

9 केशराराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 78 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

10 ख्यालीराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

11 उप—पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।

12 राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी— चक 2 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 60/2 की 25 बीघा भूमि —प्रार्थीगण रामेश्वर और चुन्नीलाल के पिता चंदूराम के नाम दर्ज है। चंदू राम की 2018 में मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी गण ने दावा पेश किया है कि चंदू राम में पारिवारिक बंटवारे से यह जमीन प्रार्थी गण के नाम कर दी थी लेकिन चंदू राम की अन्य संताने फर्जी वसीयत के आधार पर इस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। वादी गण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,188 के तहत वाद प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष चाहा गया है की परिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी गण को उक्त संपत्ति का खातेदार घोषित किया जाए और वादी गण के पक्ष में चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए की प्रतिवादी गण वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी गण द्वारा पेश किया गया दावा maintainable नहीं है क्योंकि किसी खातेदार की मृत्यु के बाद आराजी का सही हकदार कौन है यह फैसला तहसीलदार/ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान इंतकाल के द्वारा किया जाएगा। तहसीलदार/ग्राम पंचायत के फैसले से पूर्व ही उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यदि प्रार्थीगण उस फैसले से व्यथित होते हैं तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि प्रार्थीगण को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान फर्जी कागजात पेश कर सकता है तो वह सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति दायर करवा सकते हैं। यदि चंदू राम द्वारा प्रार्थी गण के पक्ष में कोई बंटवारा किया गया है तो प्रार्थी गण उसे भी तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

इसलिए यह वाद maintainable नहीं है. इसे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार खाजूवाला/ ग्राम पंचायत 2 पीडब्ल्यूएम को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी के उत्तराधिकार इंतकाल का निर्णय करते समय वादी गण और प्रतिवादी गण गण को आवश्यक रूप से सुने और उसके बाद ही फैसला करें।

प्रार्थी गण द्वारा इस वाद के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है उस प्रार्थना पत्र को भी इन्हीं आधारों पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 02/2021

इसी आराजी के संबंध में सीआरपीसी 145/146 के तहत मुकदमा विचाराधीन है। इसलिए धारा 212 के तहत कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रकरण सं0 06/19 (75 आरएएक्ट), 01/20 अन्तर्गत धारा 145/146 सीआरपीसी, 01/20 (अन्तर्गत धारा 188 आरटीएएक्ट) और 02/20 (अन्तर्गत 212 आरटीएएक्ट) सभी एकही आराजी चक 14 बीडी'ए' के मु0नं0 134/15 से संबंधित है।

इसमें मुख्य फैसल किए जाने लायक बिंदू यह है कि क्या उक्त भूमि नत्थूराम के सभी वारिसों के नाम दर्ज होनी चाहिए या नत्थूराम के पुत्र हनुमानराम के नाम जरिये वसीयत दर्ज होनी चाहिए।

इस बिंदू का फैसला केस नं0 06/19 में किया जाएगा।

वर्तमान वाद 02/20 (अन्तर्गत धारा आरटीएक्ट) में आगामी आदेशों तक रिकॉर्ड पर स्टे दिया गया है। अदालत का मानना है कि इन केसेज को मर्ज कर सुनना आवश्यक है।

इसलिए अदालत यह आदेश करती है। इस प्रा0पत्र में 07.01.20 में जारी किया गया स्थगन आदेश प्रकरण सं0 06/19 का फैसला होने तक प्रभावी रहेगा।

कब्जे संबंधी विवाद का निपटारा वाद सं0 01/20 (अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी) में किया जायेगा। इसलिए इस प्रा0पत्र और वाद सं0 01/20 (अन्तर्गत धारा 188 आरटीएएक्ट) में आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

Case u/s 145/146 Crpc disputed land is Pending in SDM Court No need to conduct paused proceeding same land u/s 188 RT Act 1955. Hence droped at this stage.

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–   /

1. तोलाराम पुत्र ठाकरसीराम जाति ब्राहम्ण साकिन 21 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जीयाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. जगदीश पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला। ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) एवं सुखाधिकार अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस तरह से है कि प्रार्थी तोलाराम के नाम चक 21 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 98/53 के किला नंबर 1 से 25 की 25 बीघा भूमि और चक 22 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 3,,4,8,,9 2.08 बीघा भूमि दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि मुरब्बा नंबर 98/45 मे स्थित जमीन तक पहुंचने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है, प्रार्थी की मांग है कि मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 24,25 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाए ताकि वह किला नंबर 98/45 में स्थित अपनी जमीन तक पहुंच सके।

इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई व 3 फरवरी को मौका मुआयना किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट और मौका मुआयना से यह तथ्य सामने आया है की मुरब्बा नंबर 98/53 की उत्तरी सीमा के साथ साथ मुरब्बा नंबर 98/52 के किला नंबर 21 से 25 में एक कटान शुद रास्ता चलायमान है जो मुरब्बा नंबर 98/44 की दक्षिणी पूर्वी और 98/45 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर आकर समाप्त होता है। वर्तमान में प्रार्थी कटान शुदा रास्ते के जरिए मुरब्बा नंबर 98/45 की उत्तरी पूर्वी सीमा तक पहुंच सकता है। उसके बाद मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने से खाले को पार करता हुआ मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 5 में प्रवेश करता है जो कि मीनाक्षी के नाम दर्ज है। वर्तमान में इस किला नंबर 5 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ रास्ता चल रहा है जिसका इस्तेमाल कर प्रार्थी इस मुरब्बा नंबर के किला नंबर 4 में पहुंचता है।

उक्त तथ्यों का विवेचन किया गया। दोनों पक्षों की बहस भी सुनी गई न्यायालय का मत है कि मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 24 और 25 में से रास्ता दिया जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी वर्तमा[illegible] रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है वही रास्ता उसके खेत तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त है। उसे इसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र [illegible] करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी गण प्रार्थी को मुरब्बा नंबर 98/[illegible] के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 16*16 फीट का रास्ता देने के लिए त[illegible] है जिससे वह मुरब्बा नंबर 98/45 में प्रवेश कर सकें लेकिन प्रार्थी इस पर सहमत नहीं है। प्रार्थी किला नंबर 24,25 में रास्ता चाहता है।

यहां एक और बिंदु भी विचारणीय है कि मुरब्बा नंबर 98/53 ,जो कि प्रार्थी की खातिरदारी में दर्ज है, मुरब्बा नंबर 98/45 की पश्चिमी सीमा के साथ चिपका हुआ है। मुरब्बा नंबर 98/53 तक पहुंच के लिए कटान रास्ता उपलब्ध है। मुरब्बा नंबर 98/53 के किला नंबर 1 और मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 4 के मध्य केवल मुरब्बा नंबर 98/45 का किला नंबर 5 पड़ता है। वर्तमान में प्रार्थी इसी किला नंबर 5 में से होकर किला नंबर 4 तक पहुंच रहा है। उचित तो यही है कि प्रार्थी इसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करें।

मौका स्थिति से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 16*16 फीट जगह की भी जरूरत नहीं है।

इन सब तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :— 06 / 2021

this cast to be heard along with remanded case related to this land case no- 26/18 u/s 53 RTA no need for seprate hearing

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

1. मदनलाल पुत्र श्री निम्बाराम जाति जाट निवासी डाबरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर हाल चक 27 बीडी 'ए' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

..... वादी

बनाम

1. जेठी देवी पत्नि श्री ईशरराम जाति जाट निवासी डाबरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
2. खमा देवी पत्नि श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी शेखड़ा तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एंव 188 आर.टी.एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 6 एसजेएम (बी) के मुरब्बा नंबर 39/64 के किला नंबर 1 से 25 की 20.05 बीघा भूमि वादी मदनलाल और प्रतिवादी संख्या 1 जेठी देवी की खातेदारी में बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या दो खमा देवी के पक्ष में कर दिया गया है। इससे व्यथित होकर वादी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

वादी का कहना है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में खाता विभाजन करवाए बिना कोई अजनबी खरीददार किन्ही विशिष्ट किला संख्या पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। 11 फरवरी 2021 को वादी और प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से सहमति बटवारा नामा प्रस्तुत किया गया जिसके तहत दोनों ने निम्न प्रकार से विभाजन किए जाने पर सहमति जताई है।

मदनलाल का हिस्सा

मुरब्बा नंबर 39/64 के किला नंबर 1/2 में .2150 किला नंबर 2, 3, 8 , 9 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 10/2 ,11/2 प्रत्येक में में 0.2150 हेक्टेयर, किला नंबर 12, 13, 19 प्रत्येक में .0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 20/1 में 0.2150 हेक्टेयर, किला नंबर 21/2 में 0.1897 (उत्तर दिशा की तरफ), किला नंबर 22 में 0.2276 हेक्टेयर (उत्तर दिशा की तरफ), इस प्रकार कुल 13 किलो में 3.0476 हेक्टेयर रकबा।

खमा देवी का हिस्सा

किला नंबर 4 से 7 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 14 से 18 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 21/2,22 प्रत्येक में 0.0253 हेक्टेयर (दक्षिण दिशा की तरफ) किला नंबर 23 से 25 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 14 किलो में 3.0854 हेक्टेयर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

क्योंकि दोनों पक्ष सहमति से खाता विभाजन करवाना चाहते हैं इसलिए न्यायालय का मानना है कि इस सहमति के आधार पर खाता विभाजन स्वीकार किया जाना जायज है।

लेकिन इसमें एक बिंदु है उक्त विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा जो कि खमा देवी द्वारा जेठी देवी से खरीदा गया है, वह वर्तमान में जेठी देवी के नाम से ही दर्ज है। इसलिए इस खाता विभाजन को एग्जीक्यूट करने से पहले उस विक्रय पत्र का इंतकाल होना जरूरी है जिसके द्वारा खमा देवी ने यह जमीन विक्रय की है।

उस विक्रय पत्र का इंतकाल इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि प्रार्थना पत्र संख्या 109/20 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त विवादित आराजी पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। आज दोनों पक्षों में समझौता हो गया है इसलिए उस स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है।

इसलिए इस मामले में तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह विक्रय पत्र दिनांक 13/10/20, जिसके द्वारा जेठी देवी द्वारा विवादित आराजी में से अपना हिस्सा खमा देवी को बेचान किया गया था, के इंतकाल पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। जब उक्त जमीन विधिक रुप से खमा देवी के नाम दर्ज हो जाएगी तब ऊपर लिखित सहमति के आधार पर मदनलाल और खमा देवी के मध्य जमीन का विभाजन करें। निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 2020 /00109

वाद सं0 08/20 में किए गए फैसले के मुताबिक स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 2017/00188

1. वाहिद बक्श पुत्र अल्लादिवाया जाति मुसलमान निवासी 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादी

बनाम

1. अल्लाबसाया पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. रामचन्द्र } पुत्रगण फूलचन्द जाति कुम्हार निवासीगण 13 केवाईडी
3. इन्द्राज } तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजीयक खाजूवाला।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एंव धारा 136 एल.आर.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी संख्या 1 चक 3 बीजीएम (बी) का मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा अनकमांड और चक 4 बीजीएम (ए) के मुरब्बा नंबर 164/54 की 24 बीघा कुल 40 बीघा भूमि वादी वाहिद बख्श के नाम दर्ज थी। विवादित आराजी संख्या 2 चक 5 बीजीएम का मुरब्बा नंबर 144/54 की 16 बीघा व मुरब्बा नंबर 144/53 की 15 बीघा कुल 31 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अल्लाह बसाया को आवंटित हुई थी।

वादी का कहना है के प्रतिवादी संख्या 1 ने 1989 में वादी की उक्त 40 बीघा भूमि को हड़पने हेतु एक फर्जी प्रार्थना पत्र बाबत भूमि तबादला तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने वादी को सुने बिना तबादला तस्दीक कर दिया। इस फैसले के खिलाफ वादी ने उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष अपील दायर की जो 1991 में खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर वादी ने राजस्व मंडल अजमेर में पुनरीक्षण याचिका पेश की राजस्व मंडल ने 1998 में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर तहसीलदार निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनर्विचार हेतु सक्षम अधिकारी कलेक्टर को प्रति प्रेषित कर दिया। राजस्व मंडल के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने रिव्यू पेश किया जो मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन संख्या 603/ 1999 प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है।

वादी ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश कर यह अनुतोष मांगा है कि क्योंकि [illegible] 1989 [illegible] हो चुका है, इसलिए इस आदेश की पालना में दर्ज हुए इंतकाल को निरस्त कर विवादित आराजी संख्या 1 वादी की खातेदारी में दर्ज की जाए। दूसरा क्योंकि तबादले के द्वारा विवादित आराजी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा भूमि का आगे जरिए बैयनामा बेचान कर दिया है। उक्त बैयनामा उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन विचाराधीन होते हुए किया गया है इसलिए इस बेचान को null and void घोषित किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीआरपीसी पेश किया है। प्रतिवादी का कहना है की वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय 1998 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 6/9/2018 एस.बी. सिविल रिट न. 603/1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए वादी का वाद खारिज होने लायक है।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न न्यायालयों के निर्णय का भी अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि इस वाद को सुनना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

यह वाद जो 1989 में तहसीलदार द्वारा तबादला तस्दीक किए जाने से शुरू हुआ था वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें जो लेटेस्ट फैसला हुआ है उसके मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल के 1998 के आदेश को अपास्त कर दिया है और तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश को यथावत रखा है।

यदि वादी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित हैं तो वह इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि वादी का मानना है की प्रतिवादी द्वारा किसी न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित आराजी संख्या 1 का बेचान किया गया है तो वह उस न्यायालय में, जिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है, प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना का प्रकरण दायर कर सकते हैं।

लेकिन इन दोनों ही मामलों में न्यायालय उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता है इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इस वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र 31/17 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

1 वाहिद बक्श पुत्र अल्लादिवाया जाति मुसलमान निवासी 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादी

बनाम

1 अल्लाबसाया पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

2 रामचन्द्र } पुत्रगण फूलचन्द जाति कुम्हार निवासीगण 13 केवाईडी
3 इन्द्राज } तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4 उपपंजीयक खाजूवाला।

5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एंव धारा 136 एल.आर.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी संख्या 1 चक 3 बीजीएम (बी) का मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा अनकमांड और चक 4 बीजीएम (ए) के मुरब्बा नंबर 164/54 की 24 बीघा कुल 40 बीघा भूमि वादी वाहिद बख्श के नाम दर्ज थी। विवादित आराजी संख्या 2 चक 5 बीजीएम का मुरब्बा नंबर 144/54 की 16 बीघा व मुरब्बा नंबर 144/53 की 15 बीघा कुल 31 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अल्लाह बसाया को आवंटित हुई थी।

वादी का कहना है के प्रतिवादी संख्या 1 ने 1989 में वादी की उक्त 40 बीघा भूमि को हड़पने हेतु एक फर्जी प्रार्थना पत्र बाबत भूमि तबादला तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने वादी को सुने बिना तबादला तस्दीक कर दिया। इस फैसले के खिलाफ वादी ने उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष अपील दायर की जो 1991 में खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर वादी ने राजस्व मंडल अजमेर में पुनरीक्षण याचिका पेश की राजस्व मंडल ने 1998 में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर तहसीलदार निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनर्विचार हेतु सक्षम अधिकारी कलेक्टर को प्रति प्रेषित कर दिया। राजस्व मंडल के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने रिव्यू पेश किया जो मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन संख्या 603/ 1999 प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है।

वादी ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश कर यह अनुतोष मांगा है कि क्योंकि तहसीलदार के आदेश 1989 निरस्त हो चुका है, इसलिए इस आदेश की पालना में दर्ज हुए इन्तकाल [illegible] कर विवादित आराजी संख्या 1 वादी की खातेदारी में दर्ज की जाए। दूसरा [illegible] तबादले के द्वारा विवादित आराजी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा भूमि का [illegible] बैयनामा बेचान कर दिया है। उक्त बैयनामा उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन विचाराधीन होते हुए किया गया है इसलिए इस बेचान को null and void घोषित किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीआरपीसी पेश किया है। प्रतिवादी का कहना है की वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय 1998 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 6/9/2018 एस.बी. सिविल रिट न. 603/1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए वादी का वाद खारिज होने लायक है।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न न्यायालयों के निर्णय का भी अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि इस वाद को सुनना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

यह वाद जो 1989 में तहसीलदार द्वारा तबादला तस्दीक किए जाने से शुरू हुआ था वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें जो लेटेस्ट फैसला हुआ है उसके मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल के 1998 के आदेश को अपास्त कर दिया है और तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश को यथावत रखा है।

यदि वादी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित हैं तो वह इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि वादी का मानना है की प्रतिवादी द्वारा किसी न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित आराजी संख्या 1 का बेचान किया गया है तो वह उस न्यायालय में, जिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है, प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना का प्रकरण दायर कर सकते हैं।

लेकिन इन दोनों ही मामलों में न्यायालय उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता है इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इस वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र 31/17 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 13/2021

अपील का सार इसप्रकार है कि तहसील खाजूवाला के चक 16 बीडी के मु0नं0 114/47 के किला नं0 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा भूमि अपीलांट लालचंद की नानी किशनी/ईशरराम के नाम दर्ज थी। किशनी की मृत्यु के बाद इंतकाल सं0 234 दिनांक 05.11.19 (पंचायत 20 बीडी) के जरिये वारिसान के नाम दर्ज हो गई। अपीलांट ने पेश किया है कि किशनी ने 30.01.2006 को वसीयत के जरिये उक्त मु0नं0 114/47 की 7 बीघा भूमि (किला नं0 1 ता 7) अपीलांट के नाम कर दी थी। इसलिए यह 7 बीघा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज की जाये।

पत्रावली का अध्ययन किया गया । जमाबंदी संवत् 2074–77 का अवलोकन किया गया। इसके मुताबिक उक्त रकबा गैरखातेदारी के तौर पर दर्ज है। यह स्थापित विधि है कि गैर खातेदार द्वारा भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इसलिए किशनी द्वारा सन् 2006 में लिखी गई अपंजीकृत वसीयत शूरू से ही शून्य है।

इसलिए इंतकाल सं0 234 के खिलाफ अपील पेश करने का कोई आधार नहीं है। लिहाजा यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2016/00133

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने बताया कि पक्षकार फौत हो चुके है और आगे इस पत्रावली में पैरवी में असमर्थता जताई। अतः इस पत्रावली में पैरवी नहीं करने के कारण आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली अदमपैरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 2016/00132

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने बताया कि पक्षकार फौत हो चुके है और आगे इस पत्रावली में पैरवी में असमर्थता जताई। अतः इस पत्रावली में पैरवी नहीं करने के कारण आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली अदमपैरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 2013/00074

पत्रावली पेश हुई। अपीलांटा अधिवक्ता ने बताया कि अपीलांट से लम्बे अरसे से सम्पर्क नहीं है इसलिए पैरवी में असमर्थता जताई। अतः इस पत्रावली में पैरवी नहीं करने के कारण आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली अदमपैरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली मय अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी ने वादपत्र विड्रॉ करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर विड्रॉ करने का निवेदन किया व आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: Self Attested

पत्रावली मय अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी ने वादपत्र विड्रॉ करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर विड्रॉ करने का निवेदन किया व आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–   /

1. मांगीलाल पुत्र श्री गौरीशंकर जाति जाट निवासी 33 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....वादी

बनाम

1. रेशमी देवी पत्नि लालचन्द जाति जाट निवासी सिंगणपालीवाला तह. सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. काशीराम
3. महेन्द्र कुमार
4. विनोद कुमार

} पुत्रगण लालचन्द जाति जाट निवासी सिंगणपालीवाला तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

5. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
6. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(ए),188 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वादी ने दावा अंतर्गत धारा 88,89,92(ए),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है की विवादित आराजी भूमि चक 1 बीडब्ल्यूएसएम (ए) के मुरब्बा नंबर 188/59 के किला नंबर 4 से 7,14 से 16,17/2 में 7 बिस्वा, 25 कुल 8.07 बीघा भूमि उसके द्वारा जरिए इकरारनामा दिनांक 14 अगस्त 2020 को प्रतिवादी संख्या 1 का 4 से खरीद की गई थी। वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उसे बेदखल कर जमीन को दोबारा बेचान पर आमादा है। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही सुसंगत विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का फैसला है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है, अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैं वादी द्वारा विवादित जमीन की खरीद अपंजीकृत इकरारनामा के जरिए की गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो—

1. वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।
2. ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह पर धारा 88,89,92(ए),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर इस वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— /

1. गुरमेज सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1 श्रीमती परमजीत कौर पत्नि श्री अजायब सिंह
2 अंग्रेज सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह
3 गुरप्रीत कौर पत्नि श्री अंग्रेज सिंह
} जातियान जटसिख निवासीगण 10 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

1. उप पंजीयक खाजूवाला।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 10 बीडी (बी) के मुरब्बा नंबर 133/51 में 9.16 बीघा भूमि और मुरब्बा नंबर 133/59 में 5 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 परमजीत कौर पत्नी अजायब सिंह के नाम दर्ज है। वादी ने दावा किया है यह जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है और 3 नवंबर 2016 को वादी, वादी के माता –पिता और भाई व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक पारिवारिक समझौता किया गया था जिसके मुताबिक मुरब्बा नंबर 133/ 51 के किला नंबर 4, 7, 14, 17, व 24, में कुल 4.18 बीघा भूमि वादी के हिस्से में आई थी। अब प्रतिवादी संख्या 1 इस जमीन को प्रतिवादी संख्या 3 के नाम जरिए दानपात्र हस्तांतरित करवा रहे हैं। वादी ने अनुतोष चाहा है कि उक्त दान पत्र को शून्य घोषित किया जा कर विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड की जाए।

प्रतिवादी गण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश कर कहा है कि उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की अर्जित संपत्ति है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 के तहत हिंदू नारी की संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होगा। इसलिए यह वाद barred by law है। प्रतिवादी गण ने यह आपत्ति भी पेश की है कि उक्त परिवारिक समझौते के आधार पर पूर्व में भी इसी न्यायालय में अजायब सिंह द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे 6.11.2017 को निरस्त कर दिया गया था।

वादी ने इसका जवाब देते हुए कहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 (2) के तहत स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण के तहत इस संपत्ति पर धारा 14 लागू नहीं होती है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर भी गौर किया गया। हिंदू अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 स्पष्ट तौर पर यह कहती है हिंदू नारी अपनी संपत्ति को पूर्ण स्वामी के रूप में धारित करेगी ना कि मर्यादित स्वामी के रूप में। धारा 14 (2) के मुताबिक हिंदू नारी उन परिस्थितियों में संपत्ति को मर्यादित स्वामी के तौर पर धारण करेंगी जबकि उस दस्तावेज, जिसके द्वारा हिंदू नारी द्वारा वह संपत्ति अर्जित की गई है, के द्वारा ही हिंदू नारी के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अदालत का मानना है की प्रतिवादी द्वारा धारा 14 (2) की सही व्याख्या नहीं की गई है .

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है की वादी को अपनी माता के नाम दर्ज जमीन पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह दावा barre[illegible] w है। इसलिए इस दावे को इस स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी के साथ प्रार्थना [illegible] संख्[illegible]/2020 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मुरब्बा नंबर 133 /51 [illegible] 9.16 बीघा भूमि पर जारी किए गए स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2020 को भी [illegible] किया [illegible] है।

अदालत का मानना है [illegible] करने की कोई जरूरत नहीं है कि उक्त जमीन परमजीत कौर की स्व अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति क्योंकि दोनों ही स्थितियों में वह उस जमीन की पूर्ण स्वामी है। हालांकि परमजीत कौर द्वारा विक्रय पत्र प्रस्तुत किए गए हैं जिससे साबित होता है कि यह जमीन उसकी स्व अर्जित संपत्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

अदालत द्वारा वाद पत्र, प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और परिवारिक समझौता 2016 का अध्ययन किया गया। इस समझौते में चक 10 बीडी (ए) के मुरब्बा नंबर 153/20 ,चक 10 बीडी (बी) के मुरब्बा नंबर 133/ 51 और मुरब्बा नंबर 133/59 की जमीन का जिक्र है जो समझौते वाले दिन परमजीत कौर के नाम दर्ज थी।

अदालत धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समझौते के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां करना चाहती है। 2016 का पारिवारिक समझौता गैर पंजीकृत अनौपचारिक बंदोबस्त है कि किस तरह से परमजीत के नाम दर्ज जमीन का हस्तांतरण उसके पति और पुत्रों के पक्ष में किया जाएगा। लेकिन यदि आज की तारीख में पक्षकार इस समझौते के मुताबिक अपनी जमीन का हस्तांतरण नहीं करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि समझौते में लिखी गई जमीन समझौते वाले दिन परमजीत कौर के नाम दर्ज थी। परमजीत कौर के पति या पुत्र का उस जमीन में कोई कानूनी हक नहीं है (धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत)। इसलिए वादी द्वारा या अन्य किसी द्वारा भी उस समझौते के आधार पर परमजीत कौर के खिलाफ दावा नहीं लाया जा सकता।

यहां यह बात भी गौरतलब है कि उक्त समझौता किसी संयुक्त संपत्ति के विभाजन से संबंधित नहीं है बल्कि परमजीत कौर के नाम दर्ज जमीन के हस्तांतरण से संबंधित है। इसलिए परमजीत कौर की सहमति के खिलाफ इसे अमल में नहीं लाया जा सकता।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 24/20

1. इन्द्रराम पुत्र श्री काशीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 6 बी.डी. तहसील खजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1 हेतराम पुत्र श्री काशीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 6 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी इन्द्रराम के नाम चक 9 बीडी के मुरब्बा नंबर 154/44 के किला नंबर 1 से 10 व 15 और 16 कुल 12 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। इस मुरब्बे की बाकी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 हेतराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि दोनों पक्षों के मध्य 1991 में पारिवारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत प्रार्थी को किला नंबर 25 में रास्ते का इस्तेमाल करने की सहमति दी गई थी। प्रार्थी पिछले कई सालों से किला नंबर 25 से होकर सड़क तक पहुंच रहा है। लेकिन अप्रार्थी द्वारा बार—बार रास्ता बंद कर दिया जाता है, इसलिए वह उस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अप्रार्थी ने जवाब दिया है कि उन दोनों के मध्य ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। लेकिन उसने किला नंबर 25 में पूर्व दिशा में पक्के खाले के साथ—साथ एक बिस्वा रास्ता छोड़ रखा है। यदि प्रार्थी द्वारा इस एक बिस्वा रास्ते के बदले उसे साथ लगते हुए किले में एक बिस्वा भूमि दी जाती है तो वह रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाने के लिए राजी है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि अप्रार्थी की यह मांग कि उसे भूमि के बदले भूमि दी जाए गैर वाजिब नहीं कही जा सकती क्योंकि किसान के लिए भूमि की सबसे अच्छी कीमत क्या है यह वही जानता है।

प्रार्थी इस मांग पर सहमत नहीं है। वह परिवारिक समझौते के आधार पर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अदालत का मानना है कि प्रार्थी द्वारा यह मांग कि भूमि के बदले भूमि दी जाए मानने से इनकार करने की कोई वाजिब वजह नहीं है। प्रार्थी जिस पारिवारिक समझौते की बात कर रहा है वह एक अपंजीकृत दस्तावेज है। यदि मान भी लिया जाए कि उस समय दोनों पक्षों के मध्य कोई समझौता हुआ था तो भी इस दस्तावेज के आधार पर उस समझौते को बाध्यकारी तौर पर लागू नहीं करवाया जा सकता।

इसलिए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि यदि प्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तो उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रार्थी इस बात पर सहमत नहीं है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 36/18

अनवर पत्नि श्री अकबर खां जति मुसलमान निवासी पीरणवाली, दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला
बीकानेर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. विलायत पत्नि श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. इब्राहीम पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. बशीर पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
4. अजीम पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
5. अजीज पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
6. ताजा पत्नि श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
7. सुबी पुत्री श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
8. महमुदा पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
9. निदाम पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
10. महमुद पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
11. रहमान पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
12. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

..

.. अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार से है कि प्रार्थीया अनवर पत्नी अकबर खान के नाम चक 8 केएचएम के मुरब्बा नंबर 77/64 के किला नंबर 21 से 25 की 5 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा अपने खेत में पहुंचने के लिए मुरब्बा नंबर 98/01 और 97/08 के किला नंबर 1,10,11,20 और 21 में से होकर रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण का जवाब है कि प्रार्थीया के खेत तक पहुंचने के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है।इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए।
मौके का नक्शा इस प्रकार से है

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मुरब्बा नंबर 98/01 के किला नंबर 1,10,11,20 और 21 के काश्तकारों द्वारा रास्ता कटान की सहमति दे दी गई है। अब प्रार्थीया मुरब्बा नंबर 97/08 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ रास्ता चाहती है। प्रार्थीया की दलील है इस रास्ते के कटान होने से नक्शे में दर्शाई गई

सड़क नंबर एक और सड़क नंबर दो का आपस में मिलान हो जाएगा। इससे प्रार्थीया के साथ–साथ आम जनता को भी फायदा होगा।

अप्रार्थीगण ने आपत्ति पेश की कि धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब किसी काश्तकार के खेत तक पहुंचने का कोई रास्ता मौजूद ना हो। केवल आमजन की सुविधा को देखते हुए इस धारा के अंतर्गत रास्ता कटान नहीं किया जा सकता।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया अदालत का मानना है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति वाजिब है। प्रार्थीया ने खुद अपने प्रार्थना पत्र मैं लिखा है कि मुरब्बा नंबर 98/01 के किला नंबर 1,10,11, 20, 21 के काश्तकारों द्वारा रास्ता कटान की सहमति दे दी गई है। नक्शे के अवलोकन से यह जाहिर है कि इस रास्ते के द्वारा के जरिए प्रार्थीया सड़क नंबर दो तक पहुंच सकती है। इसलिए मुरब्बा नंबर 98/01 की पश्चिमी सीमा पर रास्ता कायम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

इसके साथ ही मुरब्बा नंबर 97/08 के किला नंबर 1 से 25 के सिलसिले में जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 06.07.18 भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.03.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 46/19

लालचन्द पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला

बीकानेर।   .....
प्रार्थी

बनाम

1. बिरमा देवी पत्नि पतराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट
सुखाधिकार अधिनियम एंव 151 सी.पी.सी.
—: निर्णय :—   दिनांक :—

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार से है कि चक 17 पीकेडी के मुरब्बा नंबर 223/18 प्रार्थी लालचंद पुत्र लादूराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए कोई कटान रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नंबर 223/25 के किला 21 से 25 और मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 25 में 2—2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। मुरब्बा नंबर 223/25 अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज है और मुरब्बा नंबर 223/17 अप्रार्थी संख्या दो के नाम दर्ज है।

अप्रार्थी गण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण अपने खेत में से रास्ता देने के लिए राजी हैं उनका कहना है कि उन्होंने रास्ते के बदले में प्रार्थी लालचंद से राशि प्राप्त कर ली है। इसलिए अगर रास्ता कटान किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर अदालत यह फैसला करती है मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 21 से 25 में प्रत्येक किले की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ 16 फीट चौड़ा रास्ता व मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 25 में 8 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाए। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रखबे का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के तौर पर करें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :—   113/20

किशनलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी महादेववाली तह. छतरगढ हाल आबाद चक 3 पीडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर रा   ....अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला। .... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है की अपीलांट किशनलाल पुत्र पन्नाराम को को सन 2017 में चक 3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 41/23 व 41/31की 50 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। अपीलांट द्वारा जब उक्त आवंटन आदेश को तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए पेश किया तब तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 188 को इस आधार पर खारिज कर दिया उक्त आवंटन आदेश नियम विरुद्ध है। अपीलांट का कहना है कि क्योंकि उक्त जमीन अपीलेट को विधिवत तौर पर आवंटित हुई है। इसलिए इंतकाल संख्या 188 को निरस्त किया जाए और आवंटन आदेश के अनुसार नामांतरण दर्ज किया जाए।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। नामांतरण संख्या 188 पर भी गौर किया गया। अदालत का मत है की तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के न्यायिक आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उपखंड अधिकारी का न्यायिक आदेश विधि विरुद्ध है या उस आदेश से राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा है तो तहसीलदार उस आदेश के विरुद्ध सक्षम अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन वह स्वयं के स्तर पर उस आदेश को खारिज नहीं कर सकता।

अदालत द्वारा आवंटन पत्रावली दिनांक 14.07.2017 का भी अध्ययन किया गया। अपीलांट ने सर्वप्रथम सन 1999 में विशेष आवंटन के तहत चक 39 केजेडी के मुरब्बा नंबर 48/63 पर आवेदन किया था। उक्त भूमि पर कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए थे परंतु 99 में इन आवेदनों पर कोई फैसला नहीं किया गया था। 2017 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा इन चारों आवेदनों की जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्योंकि मदनलाल पुत्र मोटाराम की प्राथमिकता आवंटन नियम 1975 के अनुसार सर्वोच्च श्रेणी की है इसलिए उक्त मुरब्बा नंबर 48/63 मदनलाल को आवंटन किया जाता है। यह निर्णय 19.04.2017को किया गया। उसके बाद 07.07.2017 को अपीलांट को उक्त विवादित आराजी आवंटन की गई। यह आंवटन इस आधार पर किया गया कि क्योंकि अपीलांट को वह भूमि आंवटन नहीं हो पाई जो उसके द्वारा मूल आवेदन में मांगी गई थी। इसलिए आवंटन नियम 1975 के नियम 13(ए)5 4 के तहत उसे अन्यत्र भूमि आवंटित की गई है।

अदालत द्वारा उक्त नियम का अध्ययन किया गया इस नियम के मुताबिक

सन 1999 में जिस समय अपीलांट द्वारा प्रथम बार आवेदन किया गया था उस समय अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे।

उन आवेदकों का वरीयता क्रम क्या था।

वह भूमि किसे अलॉट हुई थी और किस प्रक्रिया के जरिए अलॉट हुई थी।

क्या समान प्राथमिकता वाले 2 आवेदकों के मध्य फैसला किया गया था और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपीलांट जमीन से वंचित रह गया था।

इन दोनों निर्णय दिनांक 19.04.17 और 07.07.17 पर सरसरी नजर डालने से ही यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.07.17 को किया गया आवंटन नियम 13 (ए) 5 4 की दायरे में नहीं आता है क्योंकि उक्त नियम तभी लागू होगा जब दो समान प्राथमिकता वाले आवेदकों के बीच फैसला किया गया हो। जबकि यहां तो स्पष्ट है की प्रथम आवंटन के समय मदनलाल की प्राथमिकता सर्वोच्च थी। अपीलांट और मदनलाल की प्राथमिकता समान नहीं थी।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवंटन आदेश की विस्तृत जांच करें। यदि उक्त आवेदन विधि विरुद्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दायर करें।यदि उक्त आवेदन आबंटन विधि मान्य पाया जाता है तो उसका नामांतरण दर्ज करें। इसके साथ ही इंतकाल संख्या 188 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 06 / 20

सुखराम पुत्र श्री भागीरथ राम जाति जाट निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला।

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

—: निर्णय :— **दिनांक :—**

अपील का ब्यौरा इस तरह से है कि अपीलांट सुखराम पुत्र भागीरथ राम को सन 2017 में चक 3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 42/9 और 42/17 की 50 बीघा भूमि विशेष आवंटन के तौर पर आवंटित हुई थी। अपीलांट ने आवंटन आदेश को तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए प्रस्तुत किया तो तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 191 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह आवंटन विनिमय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना जारी किया गया है, इसलिए यह नियम विरुद्ध है। अपीलांट का कहना है कि तहसीलदार को उक्त विवेचना करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए तहसीलदार द्वारा खारिज किए गए नामांतरण को ख़ारिज किया जाए।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। नामांतरण संख्या 191 पर भी गौर किया गया। अदालत का मत है की तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के न्यायिक आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उपखंड अधिकारी का न्यायिक आदेश विधि विरुद्ध है या उस आदेश से राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा है तो तहसीलदार उस आदेश के विरुद्ध सक्षम अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन वह स्वयं के स्तर पर उस आदेश को खारिज नहीं कर सकता।

अदालत द्वारा आवंटन पत्रावली दिनांक 14.07.2017 का भी अध्ययन किया गया। अपीलांट ने सर्वप्रथम सन 2000 में विशेष आवंटन के तहत चक 1—2 एमडीएम के मुरब्बा नंबर 203/04 पर आवेदन किया था लेकिन उस समय अपीलांट को भूमि आवंटन नहीं हो पाई। सन 2017 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1975 के नियम 13(ए) 5 4 के तहत अपीलांट को विवादित आराजी आंवटन कर दी।

अदालत द्वारा उक्त नियम का अध्ययन किया गया। उक्त नियम के अनुसार यदि किसी भूमि पर समान प्राथमिकता वाले एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस भूमि का आवंटन उन आवेदकों के मध्य मोहरबंद बोली के जरिए किया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनको इस प्रक्रिया के कारण भूमि आवंटित नहीं हो सकी हो उन्हें दूसरी भूमि ,जिसे पूर्व में अधिसूचित किया गया था और जिस के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, आवंटित की जा सकेगी बशर्ते की उस दूसरी भूमि पर कोई अन्य आवेदन लंबित ना हो।

नियम 13(ए) 5 4 के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न जानकारी का होना—

सन 2000 में जिस समय अपीलांट द्वारा प्रथम बार आवेदन किया गया था उस समय अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे।

उन आवेदकों का वरीयता क्रम क्या था।

वह भूमि किसे अलॉट हुई थी और किस प्रक्रिया के जरिए अलॉट हुई थी।

क्या समान प्राथमिकता वाले 2 आवेदकों के मध्य फैसला किया गया था और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपीलांट जमीन से वंचित रह गया था।

इन सब बिंदुओं पर जांच किए बगैर नियम 13(ए) 5 4 के तहत फैसला नहीं किया जा सकता है। लेकिन आवंटन आदेश 2017 में इन बिंदुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इन तथ्यों की जानकारी के बिना इस बात पर फैसला नहीं किया जा सकता है कि क्या अपीलांट वास्तव में अन्यत्र भूमि आवंटित करवाने का अधिकारी था? इसलिए प्रथम दृष्टया [illegible]ता है होता है कि 2017 का आवंटन आदेश नियम संगत नहीं है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्ति[illegible] इस्तेमाल करते हुए इंतकाल संख्या 191 को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त एलॉटमेंट आदेश 2017 की विस्तृत जांच करें। यदि वह आदेश विधि संगत है तो उसका नामांतरण दर्ज करें यदि उस आदेश में कोई विधिक त्रुटि है तो सक्षम न्यायालय के [illegible] अपील प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 39 /21

1. कालूराम पुत्र श्री टिकूराम जाति जाट निवासी भुवाला तहसील लूनकरणसर हाल मेघाना तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर हाल चक 2 बी.वाई.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

....

.......वादी

बनाम

1. जय सिंह पुत्र श्री सिंधाराम जाति कुम्हार निवासी हमीरवास तहसील राजगढ जिला चुरू राज.।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188, 92(ए) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

वादी ने दावा अंतर्गत धारा 88,188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है की विवादित आराजी चक 2 बीवाईएम (बी) के मुरब्बा नंबर 105/40 के किला नंबर 1 से 23 की कुल 22.14 बीघा भूमि उसके द्वारा जरिए इकरारनामा दिनांक 14.03.1995 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की गई थी। वादी उस इकरारनामा के आधार पर विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही रेलीवेंट विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का फैसला है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है। अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैं। वादी द्वारा विवादित जमीन की खरीद अपंजीकृत इकरारनामा के जरिए की गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो–

1. वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।
2. ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह पर धारा 88 ,188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए यह दवा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी आधार पर इस वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.202[illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)